...यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

...अपील सं. 04/2022

...ठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अनवान :-

अपीलांट :- 1. इमामत पुत्री मोहम्मद सुभान पत्नी जमालदीन जाति मुसलमान निवासी सांवा तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

बनाम

उतरदातागण :-
1. ग्राम पंचायत सांवा जरिये सरपंच
2. सईद आमद पुत्र गुलाम रसुल
3. साजिद खां पुत्र गुलाम रसुल
4. हलीमा पत्नी गुलाम रसुल
5. फिरोज खां पुत्र मोहम्मद नजीर
6. गफार खां पुत्र मोहम्मद नजीर
7. अली अकसर पुत्र मोहम्मद सुभान
8. अमृतलाल पुत्र लीलाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र लीलाराम
10. पुरूषोतम पुत्र लीलाराम
11. छगनीदेवी पत्नी लीलाराम जाति सुथार निवासी इन्दोही तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

वकील अपीलांट :- श्री मुकीम खान समेजा

वकील उतरदाता सं. 8, 10 व 11 के वकील :- श्री फताराम गोदारा

निर्णय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट

दिनांक 10.10.2022

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलकर्त्ता - प्रार्थी ने ग्राम पंचायत सांवा द्वारा पारित किये गये नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 02.09.1998 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपीलकर्त्ता के पिता मुतवफी मोहम्मद सुभान का देहान्त होने के पश्चात् अपीलकर्त्ता मोहम्मद सुभान की प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारी थे परन्तु ग्राम पंचा... विधिक उतराधिकारियों की जांच किये बिना ही मोहम्मद सुभान के तीन पुत्र, पत्नी ... नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य है ऐसे प्रारम्भ से शून्य आदेश पर ... लागू नहीं होता है। खेत खसरा संख्या ... रकबा 2 बिस्वा, खसरा 416 रकबा 47.11 बीघा, खसरा संख्या 139 रकबा 51.0... बीघा, खसरा संख्या ... रकबा ... संख्या 153/2 रकबा 64.14 बीघा, खसरा संख्या 213 रकबा 61.07 बीघा कुल रकबा ...04 बीघा मौजा सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आती है अपीलकर्त्ता के पिता के नाम से दर्ज थी जिसमें अपीलकर्त्ता का 1/... हिस्सा मुतवफी मोहम्मद सुभान के फौत के समय था तथा अपीलकर्त्ता की माता का स्वर्गवास होने के बा... अपीलकर्त्ता 1/4 हिस्सा खातेदारी का है। तथा इसी अनुसार अपीलकर्त्ता अपने हिस्से पर काश्त करती आ र... है लेकिन अर्सा 10 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 8 से 11 द्वारा अपीलकर्त्ता की भूमि में दखलदांजी की जाने ल...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:59:56 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] ने [illegible] पूछा तो उत्तरदाता संख्या 8 से 11 के द्वारा [illegible] खसरा संख्या 213 में जमीन खरीद की गई है तथा अब [illegible] अपीलार्थी को यह भी बताया कि वादग्रस्त खेतों की नामान्तकरण [illegible] दिनांक 23.08.2022 को अपीलकर्ता [illegible] अपीलकर्ता को अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है [illegible] अपील को प्रस्तुत करने में जो सद्भाविक विलम्ब हुआ है उसे क्षमा किया जावे तथा इस अपील को [illegible] शुमार किया जावें।

अपीलकर्ता की अपील दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 8 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाता है। उत्तरदाता संख्या 8 से 11 के जवाब अनुसार मोहम्मद सुभान के उत्तराधिकारियों के नाम से नामान्तकरण खोला गया है जो सही आदेश पारित किया उसके रेकर्ड एवं कब्जा के आधार उत्तरदातागण संख्या 8 से 11 ने खरीद किया गया उसके बाद उत्तरदाता संख्या 8 से 11 का कब्जा काश्त चला आ रहा है कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि मोहम्मद सुभान के नाम दर्ज थी। उसके फौतगी के बाद उसके वैध वारिश मोहम्मद नजीर, गुल रसूल, अली बक्सर पि. मोहम्मद सुभान, फातमो बेवा मोहम्मद सुभान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो सही एवं सत्य है तथा उक्त भूमि के खेत खसरा संख्या 218 रकबा 2.8733 हैक्ट खसरा संख्या 221 रकबा 8.1342 है खसरा संख्या 213 रकबा 61.07 बीघा उत्तरदाता संख्या 8 से 11 के नाम खातेदारी मे इन्द्राज है जो उतरदातागण से खरीद किया उससे लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे रहवासी ढाणी, विद्युत कनेक्शन बाड़ वगैरा बनी हुई है जिसमें अपीलांट कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है तथा मनगंढत तथ्यों पर अपील पेश की गई है तथा अपीलांट ने बताया कि मेरे उक्त भूमि पर कब्जा है उक्त रेकर्ड के बारे में मेरे दिनांक 23.08.2022 को जानकारी मे आया है। जो नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 02.09.1998 जो 24 वर्ष के बाद अपील पेश करना कानूनी तौर से खारीज योग्य है तथा उक्त राजस्व रेकर्ड की जानकारी अपीलांट को 02.12.2021 से पूर्व हो गई थी। कि अपीलांट ने श्रीमान के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 162/2021 अनवान इमामत बनाम अली अक्सर एवं राजस्व आवेदन संख्या 257/2021 अनवान इमामत बनाम अली बक्सर का दिनांक 02.12.2021 को पेश किया गया था। उस दिन इस सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की जानकारी प्राप्त हो गई थी उसके बाद उक्त वाद को जरिये राजीनामा दिनांक 27.05.2021 को विड़ो किया जाता है तथा उक्त वाद ग्रस्त भूमि की जानकारी होने के बावजुद अपीलांट ने बताया कि नामान्तकरण संख्या 1129 की जानकारी 23.08.2022 को हुई यह तथ्य सरासर गलत है इसकी जानकारी अपीलांट आज से 24 वर्ष पूर्व भी प्रस्तुत उसको भी नहीं माने 1 वर्ष 02.12.2021 को हो गई थी जिस वक्त वाद श्रीमानजी के न्यायालय मे पेश किया गया था तथा अपीलांट को उक्त रेकर्ड की जानकारी के 30 दिन के भीतर अपील पेश करनी होती है तथा अपीलांट को 1 वर्ष की जानकारी के बाद अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई है। इस कारण अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारीज योग्य है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि [illegible] अपील म्याद बाहर होने से खारीज फरमावें।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अनवान पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील [illegible] मनगढंत व म्याद बाहर होने की वजह से खारीज फरमायी जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:59:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा